BCCI BULLETIN

Vol. 54 | APRIL 2023 | No. 4

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर द्वारा सीडैक के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी पर कार्यशाला का आयोजन

• अंजान लिंक-एप से रहें दूर • डाटा बैकअप अवश्य बनायें
• वित्तीय फ्रॉड होने पर तुरन्त 1930 पर शिकायत दर्ज करायें या https//cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें

साइबर सिक्योरिटी पर कार्यशाला को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर सीडैक के वरीय प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री साकेत कुमार झा एवं नॉलेज एसोसिएट सुश्री सोनल प्रिया कमल। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

सीडैक के प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री साकेत कुमार झा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में सीडैक की नॉलेज एसोसिएट सुश्री सोनल प्रिया कमल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

सीडैक की नॉलेज एसोसिएट सुश्री सोनल प्रिया कमल का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सीडैक), इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक संस्था, भारत सरकार के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी के संबंध में व्यवसायियों को विस्तारपूर्वक बताने के लिए दिनांक 5 अप्रील 2023 को चैम्बर प्रांगण में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने सीडैक के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज के समय में प्रत्येक कार्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हो रहा है और उसकी सुरक्षा हमलोग कैसे बनाए रखें, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज की कार्यशाला आयोजित की गयी है।

उन्होंने आगे बताया कि साइबर सिक्योरिटी एक प्रकार की सुरक्षा होती है जिसका कार्य इंटरनेट से जुड़े डिजिटल डिवाइस के डाटा को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर हो रही गलत गतिविधियों को रोका जाता है जिससे आपका डाटा सुरक्षित रहे। यह सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल और नेटवर्क को इंटरनेट पर होनेवाले साइबर हमलों से बचाता है।

कार्यशाला में व्यवसायियों को साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट द्वारा विस्तार से बताया गया। साथ ही व्यवसायियों को समझने में आसानी हो, इसके लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया।

इस अवसर पर सीडैक के वरीय प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री साकेत कुमार झा एवं नॉलेज एसोसिएट सुश्री सोनल प्रिया कमल ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

1 अप्रैल, 2023 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। नये टैक्स रिजीम में कई बदलाव भी हुए हैं। इनमें इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड में निवेश, टीडीएस आदि में बदलाव प्रमुख है। महिला सम्मान स्कीम की शुरूआत भी हो चुकी है। फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से ज्यादा एनुअल प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगेगा।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो लॉंच की गयी है उसमें महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रूपये जमा कर सकेगी। इसमें 7.5% ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम 30 लाख रू. निवेश कर सकेंगे। अभी तक अधिकतम 15 लाख रू. ही निवेश किया जा सकता था। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है।

Gold में 6 डिजिट हॉल मार्किंग जरूरी : 6 डिजिट वाले अल्फा–न्युमेरिक हॉल मार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। सोने पर 6 डिजिट का हॉल मार्किंग कोड होगा जिसे हॉलमार्क यूनीक आईडेंटिफिकेशन नम्बर कहा जाता है।

हमारे लिए खुशी की बात है कि चैम्बर के निरंतर प्रयास से देवघर के बाद पटना दो और बड़े शहरों यथा – गोवा एवं दुर्गापुर से हवाई मार्ग से जुड़ गया है। दुर्गापुर और गोवा के लिए नई फ्लाइट हो जाने से दोनों शहरों के लोगों, खासकर व्यवसायियों के लिए सुविधाजनक होगा। इस संबंध में चैम्बर लगातार प्रयासरत है कि पटना देश के अन्य शहरों से भी विमान सेवा से जुड़ जाये।

10 करोड़ सालाना का कारोबार करने वाली कम्पनियॉं मई से एक सप्ताह से पुराने Invoice को E-Invoice Portal पर Upload नही कर सकेंगी। **अर्थात् अगर पोर्टल पर 7 दिन से ज्यादा पुराने Invoice अपलोड किये जाते हैं तो Invoice प्राप्त करने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत् ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा नहीं कर सकेंगे।**

MSME को केन्द्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब MSMEs Credit Guarantee Scheme के तहत अधिकतम 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक का लोन ले सकेंगे। इस लोन के बदले लगने वाली फीस में भी MSME को राहत दी गयी है। क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार से MSME क्षेत्र मजबूत होगा। इस राहत से चैम्बर के लंबित मांग की पूर्ति हुई है।

उद्यमियों के लिए खुशी की बात है कि बिहार में औद्योगिकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने Infrastructure Development Authority (IDA) अधिनियम, 2006 में जमीन के पट्टे (Lease) की अवधि में संशोधन हेतु IDA (संशोधन) विधेयक 2023 विधान मंडल में पेश किया था जो पारित हो चुका है। **संशोधन के अनुसार अब IDA उद्योगों को 33 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर सरकार की जमीन दे सकता है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी का बिहार के समस्त उद्यमियों की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हार्दिक आभार व्यक्त करता है।**

GST संग्रह बढ़ाने में वाणिज्य–कर विभाग की रणनीति सफल रही। बिहार में मार्च 2021–22 की तुलना में मार्च 2022–23 में 29.40 प्रतिशत अधिक जीएसटी संग्रह हुआ। यह राष्ट्रीय औसत बढ़ोत्तरी की तुलना में दोगुना से अधिक है। इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में 14.39 प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी हुई। बिहार में मार्च 2021–22 में 1348 करोड़ संग्रह हुआ था जो मार्च 2022–23 में बढ़कर 1744 करोड़ हो गया है। पूरे देश का मार्च 2021–22 में जीएसटी संग्रह कुल 142095 करोड़ और मार्च 2022–23 में जीएसटी संग्रह 160122 करोड़ हुआ।

बन्धुओं, वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आजकल प्रत्येक कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है और उसकी सुरक्षा की जानकारी अत्यावश्यक है। **इसी उद्देश्य से चैम्बर ने सीडैक के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी पर एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को चैम्बर प्रांगण में किया गया था। इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।**

सादर

आपका
पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण सीडैक द्वारा प्रदर्शित वीडियो से सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करते हुए।

माध्यम से साइबर सिक्योरिटी के संबंध में विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा कि अपना आवश्यक डाटा का बैकअप अवश्य बना कर रख लें, अपने-अपने सिस्टम को एंटीवायरस अवश्य इंस्टॉल करें, अंजान लिंक और एप्स को डाउन लोड नहीं करें, यदि कोई अंजान कॉल या अंजान अनसिक्योर्ड मेल आता हो तो उसको वैरिफाई करने के उपरान्त ही जवाब दें। **यदि आपके साथ किसी तरह का फिनांसियल फ्रॉड होता है तो तुरन्त 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें या https//cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया पर अपना व्यक्तिगत फोटो या वीडियो को शेयर करने से बचें।**

कार्यशाला में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल के साथ-साथ श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री राजीव अग्रवाल, श्री आलोक पोद्दार, श्री सुबोध कुमार जैन, श्रीमती सुषमा साहु, श्री सुनील सराफ, श्री राजेश माखरिया, श्री अजय गुप्ता, श्री आशीष प्रसाद, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री मुकेश कुमार एवं काफी संख्या में व्यवसायी कार्यशाला में भाग लिए एवं साइबर सुरक्षा पर जानकारी प्राप्त की।

कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त कार्यशाला सम्पन्न हुई।

चैम्बर उपाध्यक्ष पाटलीपुत्रा सर्राफा संघ के सेमिनार में सम्मिलित हुए

पटालीपुत्र सर्राफा संघ की ओर से दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को ज्वेलरी सेक्टर पर BIS एवं धन शोधन अधिनियम (PMLA) के प्रभाव पर पर एक सेमिनार का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में आयोजित हुआ। इस सेमिनार में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

चैम्बर उपाध्यक्ष ने सेमिनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि सर्राफा बाजार की समस्याओं में पाटलीपुत्र सर्राफा संघ की समस्याओं के निवारण हेतु किये गये प्रयास में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज अपना हर सम्भव सहयोग देगा।

पाटलीपुत्र सर्राफा संघ द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः श्री शशि कुमार, महासचिव, पाटलीपुत्रा सर्राफा संघ एवं श्री विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलीपुत्रा सर्राफा संघ एवं चार्टर्ड एकाउंटेन्ट श्री सुमंत चौबे तथा दाँयीं ओर सर्राफा संघ के कोषाध्यक्ष श्री राजेश कुमार जाडिया।

सीएम बोले- 152 प्लांट का प्रस्ताव था, पर केन्द्र ने सिर्फ 17 मंजूर किए

बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट मोतीपुर में शुरू, यहाँ 1300 को मिलेगा रोजगार

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भारत ऊर्जा डिस्टलरीज प्रा.लि. का एथेनॉल प्लांट गुरुवार दिनांक 6.4.2023 को शुरू हो गया। यहाँ 13 सौ से अधिक को रोजगार मिलेगा। प्लांट से किसानों की आय भी बढ़ेगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 2007 में ही 31 हजार करोड़ के एथेनॉल प्लांट को शुरू करने की मंजूरी केन्द्र से मांगी थी। गन्ना से एथेनॉल बनता तो बिहार के लिए बड़ी बात होती। लेकिन केन्द्र नहीं माना। 2020 में एथेनॉल पॉलिसी बनने के दौरान मैं प्रधानमंत्री से मिला। बिहार में 152 प्लांट के प्रस्ताव आए, लेकिन केन्द्र ने सिर्फ 17 को मंजूरी दी। बिहार का पहला एथनॉल प्लांट पूर्णिया में खुला था।

यहाँ खुलेंगे प्लांट : मुजफ्फरपुर में 3 और प्लांट चालू होंगे। पूर्णिया, गोपालगंज, भोजपुर सहित कुल 15 जगहों पर प्लांट लगाने का काम चल रहा है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 7.4.2023)

उद्योगों को 33 वर्ष से ज्यादा के लिए पट्टे पर मिलेगी जमीन

राज्य के औद्योगिकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑथोरिटी (आइडीए) अधिनियम-2006 लागू किया है। इस अधिनियम में पट्टे की अवधि का उल्लेख किया गया है। पट्टे की अवधि को कम या अधिक करने के लिए सरकार ने आइडीए (संशोधन) विधेयक-2023 विधान - मंडल में पेश किया।

विधानमंडल ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पास कर दिया। अब आइडीए उद्योगों को 33 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर सरकार की जमीन दे सकता है। संशोधन के अनुसार भूमि के पट्टे की अवधि विस्तार के लिए बार-बार कैबिनेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अवधि विस्तार या कम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को अधिकृत कर दिया गया है। कमेटी की सलाह पर ही आइडीए भूमि के पट्टे की अवधि निर्धारित करने का निर्णय लेगा।

उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि निवेश के लिए जमीन के पट्टा की अवधि विस्तार की मांग निवेशक कर रहे थे। वर्तमान पट्टे की अवधि के कारण निवेशक आकर्षित नहीं हो रहे थे। इस बाधा को दूर करने के लिए संशोधन किया गया।

(साभार : प्रभात खबर, 4.4.2023)

ज्वेलर्स को जून तक एचयूआइडी नंबर लेना अनिवार्य : गुप्ता

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ की ओर से हुआ सेमिनार

हर हाल में ज्वेलर्स को जून तक एचयूआइडी नंबर लेना अनिवार्य है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह नंबर ज्वेलर्स के हित में है। ये बातें भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमुख एस. के. गुप्ता ने दिनांक 13.04.2023 को पाटलिपुत्र सर्राफा संघ की ओर से आयोजित ज्वेलरी सेक्टर पर बीआइएस और धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) के प्रभाव तथा बदलते माहौल पर सेमिनार में कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य के 15 जिले में हॉलमार्क अनिवार्य है। जल्द ही सरकार और जिलों में हॉलमार्क अनिवार्य करने जा रही है। इस मौके पर संघ ने एचयूआइडी से ज्वेलर्स को हो रही परेशानियों को भी श्री गुप्ता के समक्ष रखा। संघ की हॉलमार्किंग सब कमेटी के संयोजक मोहित गोयल ने बीआइएस केयर एप में एचयूआइडी कराने वाले विक्रेता का नाम प्रदर्शित होने को व्यावसायिक गोपनीयता का हनन और इसे अनुचित बताते हुए, उसे हटाने की मांग की। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि सिंगल पीस हॉलमार्किंग की मांग की गयी थी, लेकिन वह आज भी लंबित है। सेमिनार के दौरान ज्वेलर्स या रत्न विक्रेता पर धन शोधन अधिनियम के प्रभाव और उससे संबंधित जानकरियाँ देकर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमंत चौबे ने सदस्यो के संशय को दूर किया।

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ की मांगें : 1. बीआइएस केयर एप में एचयूआइडी कराने वाले विक्रेता का नाम हटाया जाये 2. बीआइएस केयर एप में आभूषण के वजन को भी दर्शाया जाये 3. सिंगल पीस के एचयूआइडी की अनुमति का जल्द नोटिफिकेशन हो

(साभार : प्रभात खबर, 14.4.2023)

एक अप्रैल से नए बदलाव

न्यू टैक्स रिजीम, महिला सम्मान सर्टिफिकेट सहित कई स्कीम्स की शुरुआत

1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू हो रहा है। यह कई सारे बदलाव लेकर आया है। इसमें इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड में निवेश, टीडीएस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव प्रमुख हैं। यही नहीं, एक अप्रैल से नया टैक्स रिजीम भी लागू हो रहा है। इसके अलावा महिला सम्मान स्कीम की भी शुरुआत हो रही है। दूसरी ओर, फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, पाँच लाख से ज्यादा एनुअल प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग में जीती गई राशि पर 30

(शेष पृष्ठ 4 पर)

चैम्बर के प्रतिनिधि ESIC के आदर्श हॉस्पिटल के हॉस्पिटल विकास कमिटी की बैठक में सम्मिलित हुए

ESIC के हॉस्पिटल विकास कमिटी की बैठक में उपस्थित माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव, ESIC के मेडिकल सुपरिनटेन्डेंट श्री राजेश कुमार, चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता एवं अन्य।

दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के आदर्श हॉस्पिटल, फुलवारी शरीफ के हॉस्पिटल विकास कमिटी की 49वीं बैठक माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव की उपस्थिति में एवं श्री राजेश कुमार, मेडिकल सुपरिनटेन्डेंट ESIC आदर्श हॉस्पिटल की अध्यक्षता में हॉस्पिटल के सभा कक्ष में हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय कुमार सम्मिलित हुए एवं ESIC में बीमित कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की चिकित्सा को और बेहतर बनाने हेतु सुझाव भी दिये।

देवघर के बाद पटना पहली बार हवाई मार्ग से दो और बड़े शहरों से जुड़ा

पटना से गोवा के लिए अब सीधी विमान सेवा मई से, हफ्ते में चार दिन; दुर्गापुर के लिए भी फ्लाइट

गोवा की इंडिगो की सीधी फ्लाइट 22 मई से और दुर्गापुर के लिए 30 मई से

गोवा जाने के लिए दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता है, गोवा का किराया 5600

एयरलाइंस	विमान सं	सेक्टर	आगमन	प्रस्थान	कब-कब चलेगी
इंडिगो	6 ई 6731/6932	नॉर्थ गोवा-पटना-नॉर्थ गोवा	04.45 PM	5.20 PM	सोम, शुक्र, रवि
इंडिगो	6 ई 6731/6932	नॉर्थ गोवा-पटना-नॉर्थ गोवा	12.20 PM	4.30 PM	केवल बुध को
इंडिगो	6 ई 305/306	नॉर्थ गोवा-पटना-नॉर्थ गोवा	3.30 PM	4.00 PM	मंगल, गुरु, शनि

पटना से विमान से गोवा और दुर्गापुर जाना अब आसान हो जाएगा। गोवा के लिए पटना से इंडिगो की सीधी फ्लाइट 22 मई से शुरू हो रही है। यह सप्ताह में चार दिन ऑपरेट करेगी। वहीं इंडिगो की ही 30 मई से पटना-दुर्गापुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। यह सप्ताह में 3 दिन ऑपरेट होगा।

गोवा के लिए विमान सेवा शुरू होने से पटना से गोवा जाना आसान हो जाएगा। गोवा में पटना समेत बिहार के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। पटना से दुर्गापुर के बीच कारोबार बढ़ेगा। दुर्गापुर में पटना व आसपास के छात्र पढ़ते हैं। फिलहाल पटना एयरपोर्ट से 39 जोड़ी विमानों का ऑपरेशन हो रहा है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि दुर्गापुर और गोवा के लिए सीधी फ्लाइट यहाँ के लिए लोगों के लिए अच्छी बात है। दो शहरों के लिए नई फ्लाइट हो जाने से दोनों ओर के लोगों के लिए अवसर बढ़ेगा। पटना से गोवा का विमान सफर ढाई घंटे का होगा। इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 6931/ 6932 के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। 22 मई की गोवा से पटना का किराया 5151 रुपए है जबकि पटना से गोवा का किराया 5616 रुपए है। अभी गोवा जाने के लिए पटना से दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता है। पटना से दुर्गापुर का विमान का सफर सवा घंटे का होगा। 30 मई को पटना से दुर्गापुर का किराया 2694 रुपए है जबकि दुर्गापुर से पटना का किराया 2540 रुपए है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 5.4.2023)

(पृष्ठ 3 का शेष)

परसेंट की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। अभी तक 10 हजार से ज्यादा के फंड पर टीडीएस कटौती की जाती थी।

7.5 लाख तक टैक्स नहीं : नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख थी। नए टैक्स सिस्टम में 50, 000 का स्टैडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

बिना पैन पीएफ पर कम टैक्स : पीएफ अकाउंट से पैन लिंक्ड नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो अब 30 परसेंट की जगह 20 परसेंट टीडीएस लगेगा। बदले नियम का फायदा उन पीएफ होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है।

महिला सम्मान स्कीम : फाइनेस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट में 7.5 परसेंट ब्याज दर के साथ **'महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट'** स्कीम लॉन्च की है। इसमें महिलाएँ 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। 2 लाख रुपए की स्कीम से दो साल में 32 हजार रुपए का फायदा होगा।

सीनियर सिटिजन्स को होगा फायदा : सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। अभी तक इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8 परसेंट ब्याज दिया जा रहा है।

गोल्ड में 6 डिजिट हॉलमार्क जरूरी : छह डिजिट वाले अल्फा-न्यूमेरिक हॉलमाकिंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। सोने पर 6 डिजिट का हॉल-मार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नम्बर कहते हैं।

कई दवाएँ महँगी : पेनकिलर्स, ऐंटी-इन्फेक्टिव्स ऐंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएँ महंगी हो गई हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की परमिशन दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी। इसकी कीमतें 10 परसेंट तक बढ़ सकती है।

(साभार : आईनेक्स्ट, 1.4.2023)

केन्द्र ने जीएसटी टैक्सपेयर्स को दी राहत

30 जून तक पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं व्यापारी

केन्द्र सरकार ने ऐसे जीएसटी पंजीकरण को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है, जिन पर रिटर्न फाइल नहीं किए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, टैक्स, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के बाद 30 जून तक व्यापारी अपना जीएसटी पंजीकरण निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CHAMBER'S REPRESENTATION IN ZRUCC, EASTERN RAILWAY, KOLKATA

Shri Ajay Kumar Member of Bihar Chamber of Commerce & Industries has been nominated to represent Chamber in ZRUCC, Eastern Railway, Kolkata for the term from 01.02.2023 to 31.01.2025.

Members are requested to send their problems/suggestion related to Eastern Railway to Shri Ajay Kumar.

वित्त मंत्रालय ने इसके लिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट में संशोधन किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे बिजनेस जिनका पंजीकरण 31 दिसम्बर, 2022 से पहले रद्द हो गया है और तय समय सीमा के भीतर निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं, वे 30 जून, 2023 तक कर ऐसा कर सकते हैं।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निरस्तीकरण के लिए आवेदन तब ही किया जा सकेगा, जब व्यापारी ने जीएसटी पंजीकरण रद्द होने तक का रिटर्न भर दिया हो। साथ ही ब्याज, पेनल्टी और लेट फीस का भुगतान किया हो। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निरस्तीकरण के लिए आवेदन 30 जून तक ही करना होगा और इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत देने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने उन पंजीकृत फर्मों के लिए 1,000 रुपये लेट फीस निर्धारित की है जो कि जीएसटीआर -10 देय तिथि पर फाइल नहीं कर पाए हैं। कानून के मुताबिक, जीएसटीआर-10 उन करदाताओं की ओर से फाइल किया जाता है, जो कि अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द करना चाहते हैं।

एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने 20 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसटीआर-9 फॉर्म में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लेट फीस को भी युक्ति संगत बनाया है। **(साभार : आज, 3.4.2023)**

100 करोड़ से ज्यादा कारोबार पर 7 दिन में अपलोड करना होगा ई-इनवॉइस

सालाना 100 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियाँ मई से एक सप्ताह से ज्यादा पुराने इनवॉइस को ई-इनवाइस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सकेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पोर्टल पर 7 दिन से ज्यादा पुराने इनवाइस अपलोड किए जाते हैं तो इनवाइस प्राप्त करने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे।

समय का प्रतिबंध दस्तावेज के प्रारूप वाले इनेवाइस पर लागू होगा, रिपोर्ट डेबिट/क्रेडिट नोट्स पर लागू नहीं होगा। **(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 14.4.23)**

सड़क, पुल, भवन और यूनिटी मॉल के निर्माण पर खर्च होगी राशि

विशेष सहायता योजना के तहत केन्द्र से बिहार को मिलेगा 10 हजार करोड़

राज्य में अधिसंरचना विकसित और पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए केन्द्र की विशेष सहायता योजना के तहत वर्ष 2023-24 में बिहार को 10 हजार करोड़ मिलेगा। राज्य सरकार को यह राशि ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में मिलेगी। इस राशि से राज्य में सड़क, पुल, भवन, यूनिटी मॉल, पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, पुलिसकर्मियों के लिए आवास के निर्माण और बाल एवं किशोर पुस्तकालयों के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर किये जायेंगे। पुलिसकर्मियों के लिए आवास के निर्माण और यूनिटी मॉल को छोड़ कर सभी योजना के तहत राशि का पूर्ण उपयोग 31 मार्च, 2024 तक कर लेना होगा।

2022-23 में बिहार के लिए 8046 का था प्रावधान : वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत बिहार को 8046 करोड़ देने का प्रावधान किया था, जिससे बिहार में ऊर्जा, उद्योग, सड़क, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, स्वास्थ्य और विज्ञान व प्रौवैधिकी विभागों में अधिसंरचना के निर्माण किये गये। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट में भी पूंजीगत व्यय पर 29257 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है।

ओडीओपी योजना के तहत यूनिटी मॉल बनेगा

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल बनाने की योजना है। यह राज्य की राजधानी के साथ-साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी बन सकता है। यूनिटी मॉल राज्य की राजधानी पटना या बोधगया में बनाया जा सकता है। इसके निर्माण पर होने वाली खर्च की राशि विशेष सहायता योजना से दी जायेगी।

पड़ोसी राज्यों के लिए इस योजना के तहत बजटीय प्रावधान

राज्य	राशि करोड़ में	राज्य	राशि करोड़ में
बिहार	10058	ओड़िशा	4528
झारखंड	3307	यूपी	17939

क्या है योजना : केन्द्र सरकार राज्यों में कैपिटल निवेश बढ़ाकर आधारभूत संरचना को विकसित करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिये लंबी अवधि यानी 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देती है। **(साभार : प्रभात खबर, 13.4.2023)**

बियाडा द्वारा इकाइयों को जमीन आवंटन

मार्च 2023 में BIADA (Bihar Industrial Area Development Authority) के PCC (Project Clearance Committee) की बैठकें दिनांक 20 मार्च 2023 एवं 28 मार्च 2023 को हुई जिसमें कुल मिलाकर 12+8=20 units को land allotment किया गया जिसकी पूरी सूची Company Name एवं Industry के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री में उपलब्ध है। जो सदस्य इस सूची को देखना चाहते हैं, वो चैम्बर में देख सकते हैं -

Date of Meeting	Applications	No. of Unit
20.03.2023	Application for More than 20,000 sqft	6
	Application Up to 20,000 sqft	8
28.03.2023	Application for More than 20,000 sqft	6
	Application Up to 20,000 sqft	10

अप्रैल 2023 में BIADA (Bihar Industrial Area Development Authority) के PCC (Project Clearance Committee) की बैठकें दिनांक 3 अप्रैल 2023 एवं 10 अप्रैल 2023 को हुई जिसमें कुल मिलाकर 19+14 = 33 units को land allotment किया गया जिसकी पूरी सूची Company Name एवं Industry के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (BCCI) में उपलब्ध है। जो सदस्य इस सूची को देखना चाहते हैं, वो चैम्बर में देख सकते हैं -

Date of Meeting	Applications	No. of Unit
03.04.2023	Application for More than 20,000 sqft	5
	Application Up to 20,000 sqft	14
10.04.2023	Application for More than 20,000 sqft	11
	Application Up to 20,000 sqft	8

दवा उद्योग को आसानी से मिलेगा लाइसेंस

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के 11.4.2023 मंगलवार से शुरू हुए एकीकृत पोर्टल से दवा उद्योग को कारोबारी लाइसेंस मिलने में लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने नारकोटिक्स ब्यूरो के इस एकीकृत पोर्टल की शुरूआत की। इस पोर्टल को भारत कोश, जीएसटी, पैन-एनएसडीएल

वैधता, ई-संचित और आधार जैसी सरकारी सेवाओं के आंकड़ों के साथ जोड़कर विकसित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह पोर्टल सीबीएन से लाइसेंस पाने का इकलौता सेवा केन्द्र होगा। इस पोर्टल से दवा उद्योग की दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सीबीएन मादक पदार्थों और दिमाग को निष्क्रिय करने वाली दवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नजर रखने वाला केन्द्र सरकार का संगठन है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, 'इन मादक तत्वों में औषधीय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक उपयोग के अलावा गैरकानूनी इस्तेमाल की भी आशंका होती है। इसलिए यह संतुलन साधने की जरूरत है कि इन पदार्थों की आम लोगों के लिए उपलब्धता बनी रहे और संबंधित कानून का अनुपालन भी किया जाए।'

मंत्रालय ने कहा कि नॉरकोटिक्स ब्यूरो ने इन चुनौतियों को देखते हुए एक डिजिटल मंच शुरू करने के बारे में सोचा जो इन पदार्थों की उपलब्धता एवं कानून अनुपालन के बीच सही संतुलन साधने का जरिया बन सके।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.4.2023)

रेपो रेट की दर में कोई बदलाव नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज दी हैं। पहली तो ये कि रेपो रेट की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लोन लेने वाले लोगों पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ेगा। वहीं दूसरी अनक्लेम्ड डिपॉजिट से जुड़ी हुई है। अलग-अलग सरकारी बैंकों में हजारों करोड़ रुपये की रकम का कोई दावेदार नहीं है। अब इस पैसे को एक वेब पोर्टल की मदद से कानूनी हकदारों तक पहुँचाएगी। अगर आपके दादा-परदादा अलग-अलग बैंकों में पैसे जमा कर गए हैं और आप तक उसकी खबर भी नहीं है। तो अगर आप इस पैसे के कानूनी हकदार हैं तो ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट आपको मिल सकता है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नए वित्त वर्ष की पहली एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए इस संबंध में जानकारी शेयर की है। आपको बता दें हाल ही में सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि अलग-अलग सरकारी बैंकों में करीब 35,000 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है। इसके मुताबिक, बैंकों ने फरवरी 2023 तक 35,012 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के रूप में जमा किया है। मार्च 2022 तक ये रकम 48, 262 करोड़ रुपये की थी। **(विस्तृत : आज, 7.4.2023)**

कम होगी महँगाई, ग्रोथ को सपोर्ट के लिए रिजर्व बैंक उठाएगा कदम

इस साल से सस्ते होंगे लोन

"आरबीआई के ताजा फैसले ने इस बहस पर लगाम लगा दी है कि देश में ऊँची ब्याज दरें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं।"

– सौम्य कांति घोष, ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एसबीआई

ऊँची ब्याज दरों से इसी साल से राहत मिल सकती है। देश-दुनिया के बैंकिंग एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अनुमान है कि भारत में रिटेल महंगाई दर 6% से नीचे आएगी। दूसरी तरफ आर्थिक विकास दर थोड़ी सुस्त पड़ने की आशंका है। ऐसे में रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती शुरू करेगी। इससे लोन सस्ते होने लगेंगे।

रिजर्व बैंक ने बीते हफ्ते दरें नहीं बढ़ाई। लेकिन 6.50% रेपो रेट 7 साल में सबसे ज्यादा है। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने कहा, 'आरबीआई के ताजा फैसले से पहले आशंका थी कि ऊंची दरें लंबे समय तक रहेंगी। अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ महीनों में ब्याज दरें घटने लगेंगी और कटौती का दौर लंबा चलेगा। यदि वैश्विक मंदी आती है तो असर भारत पर भी होगा और दरों में कटौती शुरू हो सकती है।

बड़े देशों में ब्याज दरें प्री-कोविड लेवल पर आएँगी : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने उम्मीद जताई है कि बड़े देशों में ब्याज दरें प्री-कोविड लेवल पर आ सकती हैं। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन घटते उत्पादन को देखते हुए केन्द्रीय बैंकों को ब्याज दरें घटानी पड़ेंगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.4.2023)

प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नियामकीय निश्चितता सुनिश्चित करने और भरोसेमंद कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए कानून में बदलाव किए है।

प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के लगभग आठ महीने बाद तीन अप्रैल को संसद ने इसे मंजूरी दी थी। विधेयक को वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भी भेजा गया था, जिसने पिछले साल 13 दिसम्बर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। राज्यसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दी। दोनों सदनों ने बिना किसी चर्चा के कानून पारित कर दिया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिनांक 12.4.2023 को ट्वीट किया, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी है।' सीसीआई की कार्यवाहक चेयरपर्सन संगीता वर्मा ने कहा कि नया कानून नियामकीय निश्चितता सुनिश्चित करता है और भरोसे पर आधारित कारोबारी माहौल को बढ़ावा देता है। इससे कंपनियों को अच्छी प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.4.2023)**

पाँच करोड़ तक का ले सकेंगे लोन, कर्ज के बदले लगने वाली फीस में भी रियायत

एमएसएमई को सरकार ने दी बड़ी राहत

एमएसएमई को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अधिकतम दो करोड़ की जगह पाँच करोड़ तक का लोन ले सकेंगे। इस लोन के बदले लगने वाली फीस में भी एमएसएमई को राहत दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के सरकारी प्रयासों का एक हिस्सा है।

क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए एमएसएमई को अपनी पूरी परियोजना के साथ बैंक से संपर्क करना होता है। फिर बैंक परियोजना के मुताबिक लोन की मंजूरी देता है। लोन की ब्याज दर बैंकों पर निर्भर करती है। इस लोन के बदले उद्यमी को सालाना लोन की फीस देनी पड़ती है जो लोन की रकम का 0.37 प्रतिशत से लेकर 1.35 प्रतिशत तक है। लोन लेने के बदले उद्यमी को कोई गारंटी नहीं देनी होती है या कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है। लोन की गारंटी सरकार लेती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत नए उद्यमी भी लोन ले सकते हैं।

क्रेडिट गारंटी स्कीम कोरोना काल में आरंभ की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से भिन्न है जो पिछले कई सालों से चल रही है। उद्यमियों ने बताया कि पिछले दो-तीन सालों में औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिलेगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.4.2023)**

नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से 750 मेगावाट का बढ़ेगा आवंटन

राज्य को केन्द्रीय कोटे से मिलने लगेगी 9000 मेगावाट बिजली

2024 तक बिहार को केन्द्रीय कोटे से करीब 9000 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में एनटीपीसी की विभिन्न इकाइयों से बिहार राज्य को 6560 मेगावाट बिजली का आवंटन मिल रहा है। बिजली कंपनियों ने अगले एक से डेढ़ वर्षों में एनटीपीसी बाढ़ की दो यूनिट, झारखण्ड के नॉर्थ कर्णपुरा की एक यूनिट और बक्सर की दो थर्मल पावर यूनिटों से करीब 1998 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटन का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा ब्रेडा की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से भी करीब 760 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है। ऐसे में बिहार को मिलने वाली बिजली की उपलब्धता 9000 मेगावाट को पार कर सकती है।

अप्रैल 2024 तक बाढ़ की दोनों अंतिम यूनिट होंगी चालू : एनटीपीसी के बाढ़ थर्मल पावर प्लांट में अब फेज वन की मात्र दो युनिटों का चालू होना ही बाकी है। फेज वन की दूसरी यूनिट का हाल ही में ग्रिड से सफल सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो गया और उम्मीद है कि मई 2023 से 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 405 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। इसके साथ ही अप्रैल 2024 तक फेज वन की तीसरी व अंतिम यूनिट से भी 342 मेगावाट बिजली का कोटा उपलब्ध हो जायेगा। अधिकारियों के मुताबिक झारखंड में स्थित नॉर्थ कर्णपुरा की दूसरी यूनिट भी जुलाई 2023 तक पूरी हो जायेगी। इसमें बिहार का कोटा 229 मेगावाट का है।

बाढ़ यूनिट से अभी 1603 मेगावाट मिल रही बिजली : अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में बिहार को एनटीपीसी की सिर्फ बाढ़ थर्मल पावर तीन की इकाइयों से 1603 मेगावाट बिजली मिल रही है। इनमें स्टेज-2 की दो इकाइयों से 1,198 मेगावाट एवं स्टेज वन की एक इकाइ से 405 मेगावाट बिजली शामिल है। मई में स्टेज वन की दूसरी इकाई और फिर मार्च 2024 तक तीसरी व अंतिम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर इससे 810 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इससे बाढ़ प्लांट से मिलने वाली बिजली 1603 मेगावाट से बढकर 2000 मेगावाट से कुछ ज्यादा हो जायेगी।

अगले साल तक बक्सर यूनिट के चालू होने में संदेह : बिजली कंपनियों ने 2024 तक बक्सर थर्मल पावर प्लांट की दोनों यूनिटों के चालू होने की उम्मीद जतायी है। हालांकि वर्तमान में जमीन अधिग्रहण की समस्या को देखते हुए फिलहाल इसकी उम्मीद कम लग रही है। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर बिजली कंपनी ने सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसइसीआइ) से विंड एनर्जी को लेकर 300 मेगावाट का समझौता किया है। यह बिजली दिसम्बर 2023 तक उपलब्ध होगी। इसके साथ ही एसइसीआइ के 230 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट से भी दिसम्बर 2023 तक जबकि ब्रेडा के सोलर पावर प्रोजेक्ट से मार्च 2024 तक 250 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद जतायी गयी है।

(साभार : प्रभात खबर, 12.4.2023)

बिजली की होगी बचत, कमाई भी

अपनी घर की छत पर लगा सकेंगे सोलर पैनल

आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा कर बिजली की बचत कर सकते हैं। एक किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने के लिए 36100 रुपए देने होंगे। इससे उत्पादित होने वाली बिजली आपकी खपत से अधिक होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ खरीदेंगी। इसका हिसाब नेट मीटर से होगा। आपके परिसर में लगे मीटर को हटाकर नेट मीटर लगाया जाएगा। महीने के अंत में खरीद और बिक्री का हिसाब होगा। इससे आपको आमदनी भी हो सकती है। सोलर पैनल लगवाने के लिए दक्षिण बिहार के उपभोक्ताओं को http://sbpdcl.co.in और उत्तर बिहार वालों को http://nbpdcl.co.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ 500 रुपए शुल्क जमा करना होगा। अबतक 7 हजार लोगों ने आवेदन दिया है। इसकी जाँच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा चयनित 26 एजेंसियों ने शुरू कर दी है। बिजली उपभोक्ताओं की सहमति मिलने पर एजेंसी के अधिकारी छत पर सोलर पैनल लगाने की जगह, सूर्य की रोशनी आदि की जाँच कर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को रिपोर्ट देंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के टेक्निकल इंजीनियर जांच करेंगे। इसके बाद चयनित उपभोक्ताओं को अनुदान घटाकर शेष राशि जमा करनी होगी। इसके बाद सोलर पैनल लगेगा। सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसी 5 साल तक नि:शुल्क मेंटेनेंस करेगी। इसके बाद मेंटेनेंस शुल्क देना होगा। यह सोलर पैनल 25 साल तक बिजली उत्पादन करेगा।

मिलेगा अनुदान

क्षमता	कुल राशि	देय राशि
1 केवी	70,809	36,100
2 केवी	1,41,618	77,796
3 केवी	2,12,426	1,19,180
4 केवी	2,66,293	1,54,338
5 केवी	3,32,866	1,99,919

(साभार : दैनिक जागरण, 9.4.2023)

इनकम टैक्स के पुराने स्लैब में रहने को देनी होगी जानकारी

- **पुराने स्लैब में बने रहना चाहते हैं तो तुरंत दे एंप्लायर को सूचना**
- **नये टैक्स रिजीम में सात लाख रुपये तक है आयकर छूट की सीमा**

एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष की गणना शुरू हो चुकी है। यदि नौकरीपेशा हैं और आयकर की पुराने स्लैब में ही बने रहना चाहते हैं तो अपने नियोक्ता को इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नया स्लैब स्वत: मान्य हो जाएगा। इसमें बेसिक टैक्स एक्जमसन को बढ़ा कर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। सेक्शन 87 के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा कर सात लाख रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही 50 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा गया है।

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर अकाउंटेंट आफ इंडिया (आइसीएआइ) के वरीय सदस्य सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति पुराना स्लैब का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें 80 सी के तहत टैक्स डिडक्शन की अनुमति होगी। इसमें उनकी टैक्स के लिए देय आय डेढ़ लाख रुपये तक घट जाएगी। टैक्स स्लैब व आधार छूट सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। पुरानी प्रणाली में होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी पर डिडक्शन की अनुमति है। ऐसे में इसका उपयोग करना होगा तो उन्हें हर साल इसकी सूचना अपने नियोक्ता को देनी होगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 14.4.2023)

बिजली नुकसान 20 फीसदी से कम करने की है तैयारी

बिहार में बिजली के तकनीकी एवं व्यावसायिक (एटीएनसी) नुकसान को 20 फीसदी तक कम करने में बिजली कंपनियाँ जुट गयी हैं। एटीएनसी लॉस को कम करने के लिए कार्ययोजना बनायी जा रही है। बिजली कंपनियाँ इसे अंतिम रूप देने के बाद उसकी समीक्षा करेगी। फिर उसे क्रियान्वित किया जाएगा।

डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनी) के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार लगातार नुकसान होने वाली बिजली को कम करने की दिशा में प्रयासरत है। इसमें उल्लेखनीय सफलता भी मिली है।

राज्य में पिछले एक साल में 5 फीसदी एटीएनसी लॉस को कम करने में सफलता मिली है। सूत्रों ने बताया कि 2021-22 में एटीएनसी लॉस 29 फीसदी था, जबकि वर्ष 2022-23 में यह घटकर 24 फीसदी हो गया। वर्ष 2020-21 में यह 32.16 फीसदी था। जबकि, वर्ष 2012 में पुनर्गठन के समय तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का एटीएनसी लॉस 45.41 फीसदी था। वर्तमान में राज्य में दो विद्युत वितरण कंपनियाँ संचालित हैं। इनमें साउथ बिहार विद्युत वितरण कंपनी में एटीएनसी लॉस 36 फीसदी से घटकर 27 फीसदी हो गया है। जबकि नार्थ बिहार विद्युत वितरण कंपनी में एटीएनसी लॉस 24 फीसदी से घटाकर 19 फीसदी करने में सफल रहा है।

चार हजार करोड़ का हो रहा नुकसान : राज्य में करीब चार हजार करोड़ की बिजली का नुकसान हो रहा है। राज्य में वर्ष 2021-22 में 17,581 करोड़ रुपये की बिजली की खरीद की गयी थी। 2019-20 में 16,056 करोड़ और 2018-19 में 14,206 करोड़ एवं 2017-18 में 11,970 करोड़ की बिजली की खरीद की गयी थी।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.4.2023)

थोक पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदल सकेंगे

देश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यह फैसला सहकारिता मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में लिया गया।

सरकार ने कहा कि थोक पेट्रोल और डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली पीएसीएस को यह विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। इन समितियों को एलपीजी डीलरशिप भी मिल सकेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.4.2023)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से हुआ खुलासा

बिहार में गुजर-बसर करना देश के 25 राज्यों से आसान

देश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 177.2 है और बिहार का है 173.3

बिहार में गुजारा करना देश के 25 राज्यों से आसान है। यहाँ जीवन जीने के लिए रोजमर्रा की वस्तुएँ देश के अधिकतर राज्यों से सस्ती हैं। अभी जारी मार्च महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इसका पता चलता है। बिहार का 173.3 देश के सूचकांक 177.2 से भी कम है। देश के 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल 10 का ही सूचकांक बिहार से कम है। यानी आम उपभोग की वस्तुएँ बिहार से सस्ती हैं।

बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 173.3 होने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के आमलोगों को दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री के लिए अगर 2012 में 100 रुपया चुकाना पड़ता था तो अब 173 रुपया 30 पैसा चुकाना पड़ रहा है। केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान का सूचकांक 175.3, मध्यप्रदेश का 176.4, झारखण्ड का 173.6, उत्तर प्रदेश का 176.5 और पश्चिम बंगाल का 182.3 है।

महाराष्ट्र 182.3 बिहार से अधिक है। जाहिर है कि इन राज्यों के आम लोगों को बिहार की तुलना में दैनिक जरूरतों के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा प्रदेशों का यह सूचकांक बिहार से कम है।

शहरों की तुलना में बिहार के गांव सस्ते : राष्ट्रीय स्तर पर और अधिकतर राज्यों में शहर गाँव से सस्ते हैं। जबकि बिहार में स्थिति इसके उलट है। यहाँ शहरों में गाँव से ज्यादा महंगाई है। राष्ट्रीय स्तर पर गाँव का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 178.0 और शहर का उपभोक्त मूल्य सूचकांक 176.3 है। बिहार में गाँव का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 172.4 और शहरों का 178.9 है। राज्य में शहरी और ग्रामीण महंगाई का फासला अधिक है। यहाँ ग्रामीण महँगाई राष्ट्रीय औसत समेत देश के 27 राज्यों सें कम है। वहाँ शहरी महँगाई राष्ट्रीय औसत समेत देश के 25 राज्यों से ज्यादा है। पिछले एक साल में देश में महँगाई 5.66 फीसदी बढ़ी है। जबकि बिहार में यह केवल 5.03 फीसदी है। बिहार की मुद्रास्फीति दर या महँगाई दर देश के 12 बड़े राज्यों से कम है। बिहार के गाँव और शहरों दोनों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में महंगाई दर कम है।

"गाँव के स्तर पर ही उत्पादित अधिकतर वस्तुओं ही आम ग्रामीण उपयोग कर रहे हैं। इस कारण गाँव में अधिकतर वस्तुएँ सस्ती है। अगर हम सप्लाई चेन को दुरुस्त करें तो शहरों में भी रोजमर्रा की सामग्री सस्ती होगी। इससे पूरे राज्य में महँगाई नीचे आएगी।"

– डॉ. सुधांशु, सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एण्ड पब्लिक फाइनांस, पटना

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.4.2023)

SUGAR PRICES UP AS SUPPLY DROPS AMID HIGH DEMAND

Sugar prices in India have climbed more than 6% in two weeks and are likely to rise further as production is set to fall and demand from bulk consumers to strengthen during the peak summer season, industry officials told Reuters.

Higher local prices will improve the margins of sugar makers such as Balrampur Chini, Shree Renuka Sugars, Dalmia Bharat Sugar and Dwarikesh Sugar, helping them make cane payments on time to farmers, dealers said.

But the price rise could add fuel to elevated food inflation and discourage New Delhi from allowing additional sugar exports, supporting global prices which are already trading near multi-year highs.

Sugar prices are rising mainly due to the downward revision in production in top sugar producing state Maharashtra, said Ashok Jain, president of the Bombay Sugar Merchants Association. **(Detail - H.T. 11.4.2023)**

दूध और अंडा उत्पादन में आगे बढ़ा बिहार

बिहार में बीते साल की तुलना में दूध का उत्पादन बढ़ गया है। छह करोड़ से अधिक अंडे का भी उत्पादन हुआ। मांस उत्पादन में करीब 5000 मीट्रिक टन की कमी आई है। दूध उत्पादन में छह लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अंडा उत्पादन में बिहार तेजी से आगे बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में दूध का उत्पादन 115.02 लाख मीट्रिक टन था जो छह लाख मीट्रिक टन बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1212 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो वहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में अंडा उत्पादन 301.32 करोड़ था। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.33 करोड़ बढकर 306.65 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांस का उत्पादन 3.97 लाख मीट्रिक टन था, जो वित्तीय 2021-22 में 5 हजार मीट्रिक टन घटकर 3.92 लाख मीट्रिक टन हो गया।

प्रदेश में दूध, मांस-मछली उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	दूध (हजार एमटी में)	मांस	मछली	अंडा (करोड़ में)
2017-18	92.4	343	587	121.85
2018-19	98.2	365	602	176.63
2019-20	104.8	383	631	274.08
2020-21	115.0	397	683	301.32
2021-22	121.0	392	762	306.65

(साभार : दैनिक जागरण, 13.4.2023)

मक्खन समेत अन्य डेयरी उत्पादों का नहीं होगा आयात

केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने किया स्पष्ट

केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरशोत्तम रुपाला ने दिनांक 14.4.2023 को यह स्पष्ट किया कि देश में मक्खन जैसे अन्य डेयरी उत्पादों का आयात नहीं किया जायेगा, बल्कि सरकार आपूर्ति बढ़ाने के लिए बड़े एवं अप्रयुक्त घरेलू क्षेत्र की मदद लेगी। इसमें कोई सच्चाई (डेयरी उत्पादों की किल्लत) नहीं है।

उन्होंने कहा कि देश में दूध की कमी नहीं है और सरकार इस ओर नजर बनाये हुए है। डेयरी मंत्री ने कहा, मांग बढ़ गयी है। हमारे यहाँ अप्रयुक्त क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसका लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा। हम उचित प्रबंध करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने किसानों और उपभोक्ताओं को बेफिक्र रहने को कहा। डेयरी उत्पादों के खुदरा मूल्य में वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि दामों को लेकर भी चिंता नहीं की जानी चाहिए। किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 15.4.2023)**

निर्यात छह प्रतिशत बढ़कर 447 अरब डॉलर पर पहुँचा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का निर्यात बीते वित्त वर्ष 2022-23 में छह प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 447 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, औषधि, रसायन तथा समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से निर्यात अच्छा रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात 422 अरब डॉलर था।

देश का आयात भी आलोच्य वित्त वर्ष में 16.5 प्रतिशत बढ़कर 714 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले 2021-22 में 613 अरब डॉलर था। गोयल ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात नई ऊंचाई पर पहुँचा है और 2022-23 में 14 प्रतिशत बढ़कर 770 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले 676 अरब डॉलर था।

मंत्री ने कहा, भारत के निर्यात का प्रदर्शन शानदार रहा है। देश से कुल निर्यात 2022-23 में 770 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुँच गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 14 प्रतिशत अधिक है। 2020 में यह 500 अरब डॉलर तथा 2021-22 में 676 अरब डॉलर था। सेवा निर्यात भी 2022-23 में 27.16 प्रतिशत बढ़कर 323 अरब डॉलर रहा।

चीन का हिस्सा घटकर 13.79% : भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 13.79 प्रतिशत पर आ गयी, जो पिछले

वित्त वर्ष में 15.43 प्रतिशत थी। इस दौरान उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक जैसी प्रमुख वस्तुओं का आयात वैकल्पिक बाजारों से हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने हालांकि यह भी कहा कि चीन से कुल आयात 2022-23 में बढ़कर 98.51 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 94.57 अरब डॉलर था।

दाम नियंत्रण के लिए गेहूँ निर्यात पर रोक जारी रहेगी : केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा क्योंकि भारत को अपने घरेलू बाजार के लिए इस खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ महँगाई पर नियंत्रण रखना है। उन्होंने कहा कि गेहूँ की खरीद शुरू हो गई है और खरीद के पहले सप्ताह के आंकडे बेहद संतोषजनक हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.4.2023)

जागरूक बनें : दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति ऑयल कंपनी देती है छह लाख रुपये

एलपीजी लाइफ इंश्योरेंस फ्री, पाँच साल में एक भी दावेदार नहीं

• 215.6 लाख लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है सूबे में • 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति तुरंत दी जाती है राहत राशि • 24 घंटे के अंदर गैस वितरक को देनी होती है लिखित सूचना

इंडेन गैस, भारत गैस या हिन्दुस्तान गैस के ग्राहक एलपीजी लाइफ इंश्योरेंस योजना का लाभ किसी दुर्घटना के बाद नहीं ले रहे हैं। सार्वजनिक तेल कंपनियों और वितरकों की मानें तो पिछले पाँच साल में सूबे में एक भी ग्राहक ने दुर्घटना बीमा के लिए दावा नहीं किया है। इस योजना में एलपीजी ग्राहक को कोई बीमा प्रीमियम नहीं देना पड़ता। यह एक थर्ड पार्टी बीमा है।

सार्वजनिक तेल कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति छह लाख रुपये तेल कंपनी देती है। 30 लाख रुपये प्रति घटना के चिकित्सा व्यय, अधिकतम दो लाख रुपये प्रति व्यक्ति व 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की तुरंत राहत राशि दो जाती है।

मालूम हो कि सूबे में 215.6 लाख लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन हैं। यह बीमा पॉलिसी सामाजिक दायित्व के तहत आता है। अगर किसी कारणवश एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट होता है, तो उस स्थिति में गैस कंपनियों को बीमा क्लेम देना होता है। ग्राहक के रिश्तेदार या परिजन को 24 घंटे के अंदर गैस वितरक को दुर्घटना के बारे में लिखित सूचना देनी होती है।

देना होता है प्रमाणपत्र : अधिकारियों ने बताया कि मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमॉर्टम प्रमाण पत्र देना होता है। तभी आपको बीमा का लाभ मिल पायेगा। वहीं दुर्घटना की स्थिति में मेडिकल बिल और प्रिस्क्रिप्शन बिल देना होता है। उसके बाद ही बीमा बिल मिलता है। डिस्चार्ज बिल संबंधित तेल कंपनी कंपनी को देना होगा।

संपत्ति नुकसान का बीमा : अगर ब्लास्ट में ग्राहक किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो संपत्ति के नुकसान के आकलन के बाद उसका पेमेंट किया जाता है अगर ग्राहक की रजिस्टर्ड संपत्ति (परिसर) है, तो ग्राहक की संपत्ति के आकलन के बाद दो लाख रुपये तक का पेमेंट किया जाता है।

सूबे में एलपीजी ग्राहक : • आइओसीएल - 102 लाख • बीपीसीएल - 51.7 लाख • एचपीसीएल - 61.9 लाख • कुल - 215.6 लाख (लगभग)

पटना में उपभोक्ता : • आइओसीएल - 9.5 लाख • बीपीसीएस - 4.4 लाख • एचपीसीएल - 2.0 लाख • कुल - 15.9 लाख (लगभग)

"पिछले पाँच साल में पटना सहित सूबे में एक भी एलपीजी बीमा से संबंधित मामला किसी एजेंसी के पास नहीं आया है। इसका मुख्य कारण एलपीजी ग्राहकों को जानकारी का नहीं होना है। चाहे वह इंडियन ऑयल कारपोरेशन हो या भारत गैस या फिर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का वितरक के कमीशन से ही बीमा की प्रीमियम राशि काट ली जाती है।"

- डॉ रामनरेश प्रसाद सिन्हा, महासचिव, बिहार एलपीजी वितरक संघ

(साभार : प्रभात खबर, 11.4.2023)

COST INFLATION INDEX (CII) FOR FY 2023-24 : CBDT NOTIFICATION 21/2023

The CBDT has announced that the 'Cost Infilation Index (CII)' in respect of **Financial Year 2023-24 (Assessment Year 2024-25) shall be 348,** which has been increased from 331 aanounced earlier for the last financial year 2022-23. The CII is used for calculating 'long term capital gains (LTCG)' under Income Tax. CBDT announces fresh CII each year using the base year 2001-02 as equal to 100.

पटना में तीन माह में खुलेंगे 50 चलंत प्रदूषण जाँच केन्द्र, कॉल करने पर पहुँचेगा आपके घर

दिल्ली की तरह अब पटना में भी गाड़ी की प्रदूषण जाँच की सुविधा मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र फेल हो गया है, तो इसे बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपके एक कॉल पर प्रदूषण जाँच केन्द्र ही आपके घर पहुँच जाएगा। जाँच के बाद उसी समय प्रमाण पत्र दे देगा। इससे लोगों को समय की बचत तो होगी ही, जुर्माना से भी बच सकेंगे। यह सुविधा राजधानी के साथ-साथ पटना जिले के सभी प्रखंडों में मिलेगी। अगले तीन महीने में करीब 50 चलंत प्रदूषण जाँच केन्द्र की व्यवस्था की जाएगी। अगले साल तक 25 और केन्द्र बढ़ाने का लक्ष्य है। चलंत प्रदूषण जाँच केन्द्र आमलोग खोल सकेंगे। इसे खोलने का लाइसेंस लेने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के पास आवेदन करना पड़ेगा। एमवीआई द्वारा जाँच के बाद लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। इसके लिए विज्ञान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी वाहन चलंत प्रदूषण जाँच केन्द्र खोल सकते हैं।

यह होगा जाँच शुल्क : घर पर जाकर जांच करने पर आने-जाने का भाड़ा अलग से लिया जाएगा। दूरी के अनुसार भाड़ा तय होगा। शहर के 10 कि.मी. के दायरे में जाने पर करीब 120 रुपए अलग से देने होंगे। अभी शुल्क तय नहीं किया गया है। यह संभावित शुल्क है।

वाहन	स्थायी केन्द्र	चलंत केन्द्र
बाइक	80 रुपए	200 रुपए
कार	120 रुपए	240 रुपए
बस	500 रुपए	620 रुपए
ट्रक	500 रुपए	620 रुपए

लाइसेंस के लिए लगेंगे 5 हजार रुपए : चलंत प्रदूषण जाँच केन्द्र एक वैन में होता है। वैन के अंदर प्रदूषण जाँच करने वाली मशीन रखी रहती है। साथ ही ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाणपत्र देने के लिए कंप्यूटर भी रहता है। अगर कोई जाँच करने के लिए बुलाता है तो वैन वहाँ पहुँचती है। वहीं जाँच करके प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है। जाँच केन्द्र खोलने के लाइसेंस, नवीकरण, आवेदन सहित अन्य शुल्क में कमी की गई है। अब लाइसेंस और नवीकरण के लिए 5 हजार रु. देने होंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की व्यवस्था की गई है।

प्रदूषण प्रमाणपत्र फेल रहने पर 10 हजार रुपए जुर्माना : वाहन चालकों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र बेहद ही जरूरी होता है। यह प्रमाणपत्र नहीं रहने पर 10 हजार रुपए जुर्माना के साथ ही कानूनी दंड का भी सामना करना पड़ सकता है।

कहाँ कितने केन्द्र खुलेंगे : • नगर निगम - 15 • खगौल - 5 • दानापुर - 8 • फुलवारी - 6 • मसौढ़ी - 2 • बख्तियारपुर - 3 • बिहटा - 4 • पुनपुन - 1 • नौबतपुर - 2 • पालीगंज - 3 • फतुहा - 2 • संपतचक - 1

"चलंत प्रदूषण जाँच केन्द्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इसे खोल सकता है। आवेदन आने पर जाँच करके लाइसेंस जारी किया जाता है।"

– श्री प्रकाश, डीटीओ, पटना

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.4.2023)

नए सॉफ्टवेयर पर ई-स्टांप की बिक्री शुरू, इसके लिए 0.50 प्रतिशत लगेगा कमीशन

न्यूनतम कमीशन की राशि 5 रुपए और अधिकतम 200 रुपए होगा

राज्य के निबंधन कार्यालयों में नए सॉफ्टवेयर पर ई-स्टांप की बिक्री शुरू हो गई है। इसके लिए 0.50 प्रतिशत कमीशन देना होगा। न्यूनतम कमीशन की राशि 5 रुपए और अधिकतम 200 रुपए होगी। यह आदेश निबंधन विभाग के सहायक महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने जारी किया है। एक अप्रैल से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में नए सॉफ्टवेयर को लागू किया गया है। ट्रायल में कुछ गड़बड़ी आने के बाद पुरानी स्टॉक होल्डिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर का 15 दिन समय बढ़ाया गया है। अभी रजिस्ट्री पुराने सॉफ्टवेयर पर हो रही है। जल्द ही नए सॉफ्टवेयर पर होगी। नए सॉफ्टवेयर पर ई-स्टांप की बिक्री शुरू हुई है। अभी तक ई-स्टांप पेपर खरीदने पर अलग से कमीशन नहीं लिया जाता था। किसी जमीन की खरीद-बिक्री पर सरकार के द्वारा रोक लगी है इसकी जानकारी ऑन लाइन उपलब्ध होगी। जमीन सरकारी है, इसकी भी जानकारी मिलेगी।

ऑनलाइन फॉर्म भरने पर बन जाएगी डीड : जमीन, फ्लैट आदि संपत्ति खरीदने के बाद रजिस्ट्री के लिए ऑन लाइन फॉर्म भरना होगा। इस दौरान दिए जाने वाले विस्तृत जानकारी के आधार पर डीड बनकर तैयार हो जाएगी। इसे लेकर निबंधन कार्यालय जाना है और आपकी तस्वीर लिए जाने के साथ रजिस्ट्री प्रकिया पूरी होगी। वकील और कातिब से दस्तावेज तैयार कराने का झंझट समाप्त होगा।

विवाह का निबंधन होगा आसान : विवाह का निबंधन कराने के लिए ऑन लाइन आवेदन के साथ शुल्क देना होगा। शादी के दस्तावेज को ऑन लाइन डाउन लोड करने की सुविधा भी भविष्य में मिलेगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.4.2023)

मोतिहारी-पाटलिपुत्रा के बीच नई मेमू इंटरसिटी

पटना से मोतिहारी जाने वाले रेलयात्रियों को रेलवे की ओर से नया तोहफा मिला है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बापूधाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच एक जोड़ी नई मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। 15 अप्रैल को उद्घाटन स्पेशल के रूप में गाड़ी सं. 05556 बापूधाम मोतिहारी-पाटलिपुत्र स्पेशल बापूधाम मोतिहारी से शाम तीन बजे खुलेगी और 8.00 बजे पाटलिपुत्र पहुँचेगी। गाड़ी सं. 15556/15555 बापूधाम मोतिहारी-पाटलिपुत्र-बापूधाम मोतिहारी मेमू. इंटरसिटी एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 16 अप्रैल से किया जायेगा। सीपीआरओ वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि गाड़ी सं. 15556 बापूधाम मोतिहारी पाटलिपुत्र मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस 16 अप्रैल से प्रतिदिन बापूधाम मोतिहारी से सुबह 06.00 बजे खुलकर 06.08 बजे जीवधारा, 06.20 बजे पिपरा, 06.33 बजे चकिया, 06.45 बजे मेहसी, 07.30 बजे मुजफ्फरपुर 07.48 बजे रामदयालु नगर, 08.45 बजे हाजीपुर, 09.00 बजे सोनपुर से दिन 09.30 बजे पाटलिपुत्र पहुँचेगी।

वापसी में, गाड़ी सं. 15555 पाटलिपुत्र-बापूधाम मोतिहारी मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस 16 अप्रैल से प्रतिदिन पाटलिपुत्र से शाम 7.00 बजे खुलकर 7.33 बजे सोनपुर, 7.50 बजे हाजीपुर, 8.50 बजे मुजफ्फरपुर, 10.30 बजे मोतिहारी पहुँचेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.4.2023)**

रेलवे में ढुलाई कोड लागू

रेल मंत्रालय ने माल ढुलाई कारोबार में जिसों के वर्गीकरण के लिए हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर (एचएसएन) कोड की शुरुआत की है। रेलवे ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। रेलवे के अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'इसकी शुरुआत इस महीने से हुई है। हम अपने नेटवर्क से ढुलाई की गई जिंसों की पहचान के लिए एचएसएन कोड की शुरुआत की है। हमने निजी कर्पनियों के माल ढुलाई के ऑर्डर में गलत जानकारी देने के अनुचित तरीके पर लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई शुरू की है।'

इससे पहले रेलवे की जिंसों की अपनी सूची थी जिसकी स्वप्रमाणन के बाद ढुलाई की जाती थी। लिहाजा कई सामान और कच्चे सामान के बारे में गलत घोषणा की जाती थी। दर असल जब से रेलवे ने जिंसवार की ढुलाई के दाम वसूलने शुरू किए हैं, तब से सेवा का उपयोग करने वाले आमतौर पर महंगी जिंस को सस्ती जिंस घोषित करने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह अनुमान नहीं है कि गलत जानकारी देने के कारण रेलवे को कितनी राशि का नुकसान हुआ है। हालांकि आमतौर पर 20-30 फीसदी सामान की गलत जानकारी दी जाती है।

(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 14.4.2023)

वाणिज्य कर विभाग के कर संग्रह के प्रयासों को केन्द्र ने भी सराहा

वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग के कर संग्रह के प्रयासों और रणनीति को केन्द्र सरकार ने भी सराहा है। केन्द्रीय राजस्व सचिव ने 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के जीएसटी आयुक्त व केन्द्रीय माल और सेवा कर के पदाधिकारियों के नेशनल को-आर्डिनेशन बैठक में बिहार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा संग्रह बढ़ाने के तरीकों की न केवल तारीफ की बल्कि अपनाये गये प्रयासों को भी उत्तम प्रयास माना।

श्री चौधरी ने कहा कि राजस्व सचिव ने अन्य राज्यों से भी थर्ड पार्टी इफॉर्मेशन के आधार पर राजस्व संग्रहण के प्रयास करने का अनुरोध किया। बैठक में वाणिज्य-कर विभाग की आयुक्त-सह-सचिव डॉ. प्रतिमा ने अपने उत्तम प्रयासों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिये। श्री चौधरी ने बताया कि विभाग ने सेवा क्षेत्र जैसे-रियल इस्टेट, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस प्रक्षेत्र, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स, मैरिज हॉल, कोचिंग संस्थान और अन्य सर्विस सेक्टर पर ध्यान केन्द्रित किया, ताकि बेहतर राजस्व संग्रह किया जा सके। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-23 में कुछ 34532 करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.23% अधिक है। यह बगैर केन्द्रीय क्षतिपूर्ति के है। **(साभार : प्रभात खबर, 26.4.2023)**

जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए आयेगी बीमा योजना

केन्द्र सरकार जल्द ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकृत व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति और दुर्घटना बीमा योजना ला सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा और साथ ही वे अधिक कर्ज भी ले सकेंगे। अधिकारी ने कहा कि इस नीति में सस्ते और सुगम कर्ज, खुदरा व्यापार का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, वितरण शृंखला के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा सकेगा। इसके अलावा कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में सुधार और एक प्रभावी परामर्श और शिकायत निपटान तंत्र का प्रावधान हो सकता है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 24.4.2023)**

भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए अब लघु जल संसाधन से एनओसी लेना जरूरी होगा

बिहार में अब भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए एनओसी लेना होगा। यह नियम सूबे में बनने वाले सभी नए अपार्टमेंट, सोसाइटी, हॉस्पिटल, होटल सहित सरकारी एजेंसिया पर लागू होगा। एनओसी लघु जल संसाधन विभाग देगा। इसके लिए एक रुपए से 120 रुपए तक की फीस भी देनी होगी। इसके लिए बाकायदा विभाग एक वेबसाइट बना रहा है जिसके माध्यम से एनओसी दी जाएगी। एनओसी जुलाई से मिलने की संभावना है। दूसरे चरण में मोटर के इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए भी नियम बनेंगे। इससे पहले मोटर, ट्यूबवेल के माध्यम से जमीन के नीचे पानी की निकासी के लिए एनओसी के जरुरत नहीं होती थी। पीएचईडी, नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायत राज विभाग की ओर से हर घर नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई होती है। लेकिन, नए नियमों के मुताबिक उन विभागों को भी एनओसी लेनी होगी, जो जमीन के नीचे से पानी की निकासी करते हैं। इसके साथ टैंकर और पानी से जुड़े उद्योग का रजिस्टेशन होगा।

नियमों की अनदेखी पर 50 हजार से 10 लाख तक का जुर्माना : नए नियम के अनुसार, भूमिगत जल की निकासी के दौरान नियमों की अनदेखी करने पर 50 हजार से पाँच लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही, जल की गुणवत्ता का डाटाबेस तैयार नहीं करने पर 50 हजार तक जुर्माना है। गलत सूचना देना, टेलीमेट्री सिस्टम का अभाव, अप्रचलित तरीके से पानी की निकासी, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है। जल संरक्षण के उपायों की अनदेखी, टैंकरों का रजिस्ट्रेशन कराने में लापरवाही पर पाँच और बगैर शोधित जल लोगों तक पहुँचाने में 10 लाख तक का जुर्माना है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.4.2023)**

बिहार में आठ प्रसंस्करण इकाई लगाने को मंजूरी

राज्य में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आठ प्रसंस्करण इकाई लगेंगी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत चतुर्थ परियोजना निगरानी समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मुजफ्फरपुर में तीन, दरभंगा में दो, औरंगाबाद, गया और पटना में एक-एक यूनिट लगेंगी।

इन जिलों में आठ प्रसंस्कण इकाई लगने से 461 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें शहद की एक, पोल्ट्री और पशुचारा की 3, धान और गेहूँ बीज प्रसंस्करण की एक, आलू के चिप्स की एक और मक्का आधारित स्नैक्स की 2 इकाई हैं। प्रधान सचिव बी. राजेन्दर की अध्यक्षता में हुई चतुर्थ परियोजना निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें वित्त विभाग, उद्योग विभाग, नाबार्ड, एपीडा के प्रतिनिधियों और तकनीकि सहायता समूह के सदस्यों सहित बागवानी निदेशालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत करीब 89.515 करोड़ रुपये है। परियोजनाओं को करीब 3.64 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। करीब 49 परियोजनाएँ मंजूरी मिलने के इंतजार में है। इनकी परियोजना लागत 280 करोड़ रुपये है। इससे पहले 10 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें से 4 परियोजनाओं को करीब 60 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। सात फसलों के लिए सक्षम वातावरण बनाकर बिहार में कृषि प्रसंस्करण निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मखाना, शहद, मक्का, फल-सब्जियाँ, चाय, औषधीय व सुगंधित पौधे और बीज हैं। इसके लिए सरकार ने 2020 में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई थी। इसी के तहत कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले निजी उद्यमियों और किसान समूहों को पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। उद्यान निदेशालय राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.4.2023)**

'उद्योग मित्र' नए उद्यमियों के लिए बन रहा मार्गदर्शक

बिहार में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी करने की राह दिखाने वाला उद्योग मित्र नए उद्यमियों के लिए मागदर्शक बन रहा है। उद्योग विभाग के तहत संचालित उद्योग मित्र के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के इच्छुक युवाओं, निवेशकों को राज्य में नए उद्यम शुरू करने के लिए उचित सलाह व सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार उद्योग मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 767 उद्यमियों को आवश्यक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध करायी गयी है। जबकि 2019-20 में उद्योग मित्र के माध्यम से 616 तथा 2020-21 में 556 निवेशक एवं उद्यमियों को सहायता उपलब्ध करायी गयी है। उद्योग मित्र नए उद्योगों की शुरूआत करने के लिए उद्यमियों के साथ कंसल्टेंट की भूमिका निभाता है। इंदिरा भवन स्थित कार्यालय में उद्योग मित्र एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएँ, लाइसेंस दिलाने, सलाह एवं वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराता है।

उद्योगों के लिए विभागों में जाने की जरूरत नहीं रही : उद्योग मित्र की पहल के कारण राज्य में अब उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगों के विस्तार को लेकर अलग-अलग विभागों में जाने की जरूरत नहीं रहीं। उद्यमियों को एक ही स्थान पर खाद्य प्रसरकरण, इथनॉल, चावल मिल की जानकारी दी जा रही है। **(साभार : हिन्दुस्तारन, 28.4.2023)**

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.4.2023)

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेस सूचना

(जनहित में जारी)

एतद् द्वारा राज्स में कार्यरत समी निजी सुरक्षा अभिकरणों तथा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम, 2005 की धारा-21 में निहित प्रावधान के अनुसार किसी निजी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक द्वारा सेना, वायुसेना, नौसेना या किसी अन्य केन्द्रीय सशस्त्र बल या राज्य पुलिस की वर्दी/पोशाक या उनसे मिलती जुलती वर्दी पहना जाना एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर निजी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक तथा अभिकरण के संचालक को एक साल तक की कैद सा रू. 5000 (पाँच हजार) तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा को सकती है।

सरकार के विशेष सचिव-सह-नियंत्री प्राधिकारी
गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.4.2023)

पटना के बहादुरपुर स्थित 40 साल पुरानी राज्य की सबसे बड़ी बाजार समिति का होगा कायाकल्प

बाजार समिति में ऑर्गेनिक फल-सब्जियों के लिए बनेगा अलग भवन, क्वालिटी टेस्ट लैब भी बनेगी एक साथ 200 ट्रक लगाने की क्षमता वाली दो पार्किंग का भी होगा निर्माण

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.4.2023)

NO.F.1/1/2023-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division
264-C, North Block, New Delhi.
11th April, 2023.

Office Memorandum

Subject: Vivad Se Vishwas I - Relief for MSMEs: Revised order.

Government has been getting many references from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) regarding difficulties being faced by them in the last two years due to COVID 19 pandemic. The Government had provided certain benefits to the industry (including MSMEs) in Government contracts in the past. In continuation to the efforts of the Government in this regard, this Department had issued an OM of even number dated 06.02.2023. Many references have been received by this Department seeking clarifications on implementation of the scheme circulated on 06.02.2023. In this context, it has been decided to issue following instructions in supersession of this Department's OM of even number dated 06.02.2023 and 10.04.2023.

2. The following parameters will determine eligibility for benefits under this scheme:

SN	Parameter	Eligibility Condition
i	Nature of procurement eligible for the relief	Procurement of Goods and Services
ii	Central government procurement entities to whom this scheme applies	Ministry/ Department/attached or subordinate office/autonomous body/ Central Public Sector Enterprise (CPSE)/ Central Public Sector Banks/ Financial Institution etc.
iii	Nature of the supplier/ contractor eligible for the scheme	Registered as a Medium, Small or Micro Enterprise (MSME) as per prevalent scheme of Ministry of MSME on the date of claim by supplier/ contractor. MSME may be registered for any category of Goods and Services.
iv	Eligible contracts in case of forfeiture of performance security or imposition of Liquidated Damages (LD) or the damages levied under "Risk Purchase" (RP) or debarment action	Where original delivery period/ completion period stipulated in contract was between 19.02.2020 and 31.03.2022 (both dates are inclusive). In case of risk purchase, the original delivery period of the main contract (and not the risk purchase contract) should be between 19.02.2020 and 31.03.2022.
v	Eligible tenders in case of forfeiture of Bid security (Earnest Money Deposit) or debarment action	Tenders, where date of closing of the tender was between 19.02.2020 and 31.03.2022 (both dates are inclusive).

3. The following amount shall be refunded by the procuring entities as a relief under this scheme after determining eligibility as per para 2 as above :

SN	Cause of action	Amount/ extent of relief
i	Performance security forfeited by the procuring entities for failure to execute contracts by the contractors.	95% of the performance security forfeited by the procuring entity.
ii	Imposition of Liquidated damages (damages deducted for late deliveries) or the damages levied under the risk purchase.	95% of the Liquidated Damages (LD) deducted or 95% of the risk purchase amount realized by the procuring entities from the MSME.
iii	Bid security (Earnest Money Deposit) forfeited	95% of the Bid security (Earnest Money Deposit) forfeited.
iv	Debarment of the contractor due to default in execution of eligible contracts/ eligible tenders under the scheme	Revocation of debarment by issue of an appropriate order by the procuring entity. The date of revocation shall be the date of such order. However, in case a firm has been ignored for placement of any contract due to debarment in the interim period (i.e. date of debarment and the date of revocation under this order), no claim shall be entertained.

Notes:

I. No interest shall be paid on such refund/ relief amount in any case.

ii. Deleted.

iii. In case liquidated damages and/ or performance security and/ or damages under risk purchase have been deducted in the same contract, total relief will be 95% of LD forfeited plus 95% of the performance security forfeited plus 95% of the damages under risk purchase realized,

iv. For cases where recoveries/ forfeiture for liquidated damages and/ or performance security and/ or damages under risk purchase have not materialized/ completed, the cases shall be dealt on the principles of this circular under para 3 as above.

4. Government e-Marketplace (GeM) has provided a dedicated link on their portal for implementation of this scheme. The link/ portal has the functionality for MSME Vendors to register their claims through its authorized personnel. For non- GeM contracts of Ministry of Railways, MSME vendors will be required to register on IRePS (www.ireps.gov.in). The information regarding contracts for which claim is to be lodged on IRePS will be provided on GeM as well as IRePS. The broad features of this portal are as under:

i. The registered contractor shall list out the eligible contracts on the portal. The list of the procuring entities is available through drop down menu on the portal. The details, such as contract number, contracting authority, Deducted/ forfeited amount, etc. will be submitted by the contractor on the portal.

ii. GeM portal shall intimate through dashboard such details to the procuring entities to verify and refund the claim in terms of the eligibility etc. mentioned above and shall update the portal with the amount, date and transaction details of the payment. Procuring entities must approve/ reject the claim within 30 days of claim submitted by the contractor on the portal. Further, once claim is accepted, payment must be made and details are entered on the portal by the procuring entities within 30 days of the acceptance of the claim.

iii. Pendency Reports to each procuring entity shall be provided by GeM.

5. The date of commencement of the scheme will be 17.04.2023 and claims can be submitted by 30.06.2023.

Sd/- 10.4.2023
(Kanwalpreet)
Director(PPD)

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.4.2023)

उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने मार्च तक बांटे रू 2,875 करोड़

पीएलआइ स्कीम : आठ उद्योग क्षेत्रों का प्रदर्शन अच्छा

केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएलआइ योजना की शुरूआत की थी, इस योजना के लाभार्थियों को मार्च तक 2,874.71 करोड़ रूपये जारी किये गए हैं, उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि आठ उद्योग क्षेत्रों का प्रदर्शन पीएलआइ योजना के तहत काफी अच्छा रहा है जबिक कुछ अन्य क्षेत्रों को अपनी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, इससे लाभान्वित होनेवाली कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, ड्रोन, चिकित्सा उपकरण, थोक दवा से जुड़ी फर्मों की बहुतायत है। सरकार ने वर्ष 2020 में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआइ योजना की शुरूआत की थी, इसमें 14 क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर कंपनियों को 1.97 लाख करोड़ का देने का प्रावधान रखा गया था।

तीन लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए : दिसंबर, 2022 तक 14 क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों से 717 आवेदन मिले थे, इनमें कंपनियों ने 2.74 लाख करोड़ रूपये निवेश की प्रतिबद्धता जतायी थी, हालांकि, वास्तविकता में 53,000 करोड़ रूपये का निवेश ही हुआ है, जिससें पांच लाख करोड़ रूपये की उत्पादन वृद्धि और तीन लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए है,

अगले दो-तीन साल होंगे काफी महत्वपूर्ण : सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत आठ क्षेत्रों की कंपनियों से 3,420.05 करोड़ रूपये के प्रोत्साहन दावे मिले है जिनमे से मार्च तक सरकार ने 2,800 करोड़ रूपये से अधिक का भुकतान कर दिया है, सिंह ने कहा, अगले दो-तीन साल काफी महत्वपूर्ण होगें और हमें उम्मीद है कि चीजें तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगी, इस योजना के दायरे में कुछ अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किए जाने की संभावना पर उन्होनें कहा कई उद्योगों से इस तरह की मांग सामने आ रही है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है,

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को सबसे ज्यादा आवंटन : सबसे ज्यादा 1,649 करोड़ रूपये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आवंटित किये गये, दवा क्षेत्र (652 करोड़), खाद्य उत्पाद (486 करोड़) दूरसंचार (35 करोड़), ड्रोन (30 करोड़), चिकित्सा उपकरण (12.8 करोड़), इलेक्ट्रॉनिक्स (5.3 करोड़) और थोक दवाएं (4.34 करोड़) की प्रोत्साहन राशि दी गयी। (साभार : प्रभात खबर, 27.4.2023)

बिहार को मिला भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार

बिहार को भारत सरकार से भवन निमार्ण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार **'विश्वकर्मा पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित **'इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट, 2023'** में भवन निमार्ण विभाग, बिहार को इंडो-इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित 'अंजुमन इस्लामिया हॉल' के उत्कृष्ट निमार्ण के लिए यह पुरस्कार दिया गया ।

बुधवार को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इस सम्मान के लिए बिहार राज्य भवन निमार्ण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार रवि को बधाई दी। कहा कि इस प्रदेश का सौभाग्य है कि विकास की ओर तेजी से अग्रसर बिहार के शिल्पी एक उत्कृष्ट अभियंता नीतीश कुमार के नेतृत्व में भवन निर्माण विभाग लगातार वैश्विक स्तर के भवन, संग्रहालय, स्कूल-कॉलेज, सरकारी प्रतिष्ठान के भवन आदि का निमार्ण कर रहा है । (साभार : हिन्दुस्तान, 27.4.2023)

सूबे में उत्पादित तिल से ही बनेगा 'गया का तिलकुट'

• तिलकुट बनाने के लिए अभी राजस्थान और गुजराज से आता था तिल • गया में 500 एकड़ में हो रही खेती, पिछले वर्ष नहीं के बराबर हुई थी

बिहार में उत्पादित तिल से ही गया का तिलकुट बनेगा । गया के तिल की खेती फिर से शुरू कर दी गई है। इस वर्ष यहाँ 500 एकड़ में गरमा तिल की खेती की जा रही है ।

पिछले साल तिल की खेती नहीं के बराबर हुई थी। गया का तिलकुट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है । जाड़े के दिनों में यहां के तिलकुट की मांग विदेशों में भी रहती है । हैरत कि बात यह है कि तिलकुट बनाने के लिए कारीगर को राजस्थान और गुजरात से तिल मंगवाना पड़ता है । प्रोत्साहन नहीं मिलने के चलते स्थानीय किसानों ने तिल की खेती करनी छोड़ दी थी । कृषि विभाग के प्रयास से गरमा में अब दुबारा खेती शुरू की गई है । इससे किसानों की आय बढ़ेगी ।

कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-कृषोन्नति योजना (एनएफएसएम) के तहत 21 क्विंटल गरमा तिल के बीज का वितरण किया गया । लगभग 500 एकड़ में किसान गरमा तिल की खेती कर रहे है। फसल भी अच्छी है। अब फूल आने लगे है ।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.4.2023)

केन्द्र ने कहा : पनबिजली परियोजनाओं पर टैक्स नहीं लगा सकते राज्य

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कोई भी राज्य बिजली उत्पादन पर टैक्स नहीं लगा सकता क्योंकि उसे इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया है । बिजली मंत्रालय ने पनबिजली परियोजनाओं पर टैक्स लगाने के कुछ राज्यों के कदम को पूरी तरह से अवैधानिक व गैर कानूनी करार देते हुए उसे तत्काल खत्म करने का निर्देश भी दिया है । इस बारे में केंद्रीय बिजली मंत्रालय के निदेशक की तरफ से मंगलवार को सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखा गया है। केंद्र के इस फैसले से कुछ पनबिजली परियोजनाओं को खासा फायदा होने की संभावना है । कुछ राज्य इन परियोजनाओं पर जल कर की आड़ में टैक्स का बोझ डाले हुए थे । बिजली मंत्रालय के निदेशक आर. पी. प्रधान की तरफ से लिखे गए इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी तरह के बिजली उत्पादन पर टैक्स नहीं लगा सकता ।

(साभार : दैनिक जागरण, 27.4.2023)

हिट एंड रन में मौत पर परिजनों को मुआवजा

परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को दिया निर्देश

हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजन को दो लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा । वहीं इस तरह की घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रूपए का भुगतान किया

जायेगा । इस संबंध में त्वरित कारवाई के लिए परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है ।

बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा : परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया है कि हिट एंड रन वाहन दुर्घटना जैसे मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी और साधारण बीमा परिषद द्वारा सीधे प्रभावित व्यक्ति के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा । मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की गई है ।

हिट एंड रन मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होगें। जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होगें । दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेगें । यदि दावा सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद् को स्वीकृति आदेश भेजेगें । इस आदेश प्राप्ति के 15 दिनों में सामान्य बीमा परिषद् संबंधित के खाते मे राशि का भुगतान करेंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.4.2023)

RBI के 'रिजर्व' में 790 टन गोल्ड

दुनियाभर में बढ़ती अनिश्चितताओं के चलते गोल्ड रिर्जव बढ़ा रहे बैंक

कोविड पीरियड के बाद दुनियाभर में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच रिर्जव बैंक ने सेफ एसेट के तौर पर सोने की तगड़ी खरीदारी है। मार्च 2010 से मार्च 2023 के बीच आरबीआई ने 137.19 टन गोल्ड खरीदा, इससे आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 79 परसेंट बढ़कर 3.75 लाख करोड़ रुपये (790.20 टन) से ज्यादा हो गया है।

आरबीआई सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाला आठवां केन्द्रीय बैंक बन गया। 20 मार्च, 2020 तक आरबीआई का गोल्ड रिजर्व कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 6 परसेंट था, जो 24 मार्च तक बढ़कर 7.85 परसेंट हो गया ।

इसलिए सोना खरीद रहे बैंक : • रिस्की माहौल में सोना सुरक्षा बाड़ (हेज) का काम करता है • ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के दौरान गोल्ड प्रभावी क्रॉस बॉर्डर करंसी की भूमिका निभाता है • अतिरिक्त करंसी छापने पर सपोर्ट के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ाना जरूरी हो जाता है • विदेशी करंसी से ज्यादा सुरक्षित होने की वजह से गोल्ड काफी भरोसेमंद एसेट माना जाता है।

2020 से लगातार बढ़ रहा देश का गोल्ड रिजर्व, अभी करीब दोगुना

डेट	फॉरेन करेंसी	गोल्ड रिजर्व
20 मार्च 2020	32.83 लाख करोड़ रू.	2.09 लाख करोड़ रू.
19 मार्च 2021	39.24 लाख करोड़ रू.	2.51 लाख करोड़ रू.
11 मार्च 2022	42.45 लाख करोड़ रू.	3.18 लाख करोड़ रू.
24 मार्च 2023	42.04 लाख करोड़ रू.	3.75 लाख करोड़ रू.

(साभार : आई नेक्स्ट, 27.4.2023)

सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को अब मिलेंगे दस हजार रुपये

परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक मे लिया गया निर्णय

सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को अब 10 हजार रूपये की पुरस्कार राशि दी जायेगी, इसकी घोषणा परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने दिनांक 26.4.2023 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में की। बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् और विभागों द्वारा जा रहे कार्यों व योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गयी।

मंत्री शीला कुमारी ने एनएचआइ के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि बसावट वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले एनएच के किनारे सुरक्षात्मक ग्रिल लगाएं। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की ससमय उपचार हो सके। इसको लेकर यह निणर्य लिया गया है और राशि बढ़ायी गयी है। मौके पर विशेष सचिव गृह विभाग के. एस. अनुपम, एडीजी यातायात सुधांशु कुमार, नॉर्थ पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी, एनएचएआइ पटना के क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे ।

अभी पांच हजार रूपये देने का था प्रावधान : परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि वर्तमान में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को जिलों में चयन कर पांच हजार रूपये का पुरूस्कार दिया जा रहा है, अब कुल 919 गुड सेमेस्टिन को विभिन्न अवसरों यथा 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं अन्य अवसरों पर सम्मानित किया गया है। गुड सेमेरिटन संबधित दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिलों के महत्वपूर्ण सरकारी स्थलों एवं भवनों की दीवारों पर जागरूगता बोर्ड लगाया जाए।

विभागों को दिये निर्देश : • जिले में जहां बस पड़ाव का निर्माण हो, वहां मॉडल परिसर में लघु शौचालय और पेयजल की भी सुविधा होगी • ओवर स्पीडिंग तथा गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर सख्ती से कारवाई कर जुर्माना लगेगा • सर्वाधिक दुर्घटना वाले पांच एनएच पर स्टैटिक रडार गन स्थापित कर अधिक से अधिक जुर्माने की कारवाई करने का निर्देश दिया ।

(साभार : प्रभात खबर, 27.4.2023)

राज्यरतरीय समन्वय समिति में बोले सीएस

अवैध तरीके से राशि जमा कराने वाली कंपनियों पर बढ़ेगी सख्ती

अवैध तरीके से राशि जमा कराने वाली कंपनियों पर और अधिक सख्ती होगी। राज्य के आम लोगों और निवेशकों की राशि नहीं डूबे इसके लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि हर हाल में अवैध जमा लेने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कानून का सख्ती से पालन हो। सहारा में राज्य के लोगों की निवेश की गई राशि वापसी के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि जरूरत है कि और गंभीरता से राशि वापसी का प्रयास किया जाए। इसके लिए दूसरे राज्य जाने की जरूरत हो जाएँ। बिहार में सहारा पर 177 मामले दर्ज हैं। इसमें कुछ का अनुसंधान चल रहा है, जबकि पाँच मामले सुलझा लिए गए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत : मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र की बैनिंग ऑफ अन रेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट के बारे में बिहार में भी जल्द रूल्स बनाया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

बैठक में विधि विभाग के सचिव ज्योति शरण श्रीवास्तव, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक संजीव दयाल, सेवी की प्रीति पाठक, ईओयू के डीआईजी मानव सिंह ढिल्लो, एसपी हरिकिशोर सिंह, विधि परामर्शी सुरेश राय, वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश लाल और अपर सचिव अभिलाषा शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 27.4.2023)**

कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटारे पर नहीं शुरू हुआ काम, 80 एकड़ में फैला है कूड़ा

रामाचक बैरिया में बना 13 लाख टन कचरे का पहाड़

- **14 वर्षों से जमा कचरे का नहीं हो रहा है निस्तारण**
- **03 लाख 60 हजार टन कचरा हर वर्ष जमा हो रहा यहाँ**

रामाचक बैरिया का 80 एकड़ क्षेत्र कचरे का पहाड़ बन गया है। हर वर्ष 3 लाख 60 हजार टन कचरा यहाँ जमा हो रहा है। रोजाना नगर निगम क्षेत्र से करीब 900 टन कचरा डंप किया जा रहा है। पिछले 14 वर्षों से करीब 13 लाख टन से अधिक कचरा यहाँ जमा हो चुका है। वर्षों से जमा कचरे का वैज्ञानिक

तरीके से निपटारे की योजना 419 करोड़ रुपये नहीं मिलने की वजह से जमीन पर नहीं उत्तर सकी है। वर्ष 2021 में बैरिया में कचरे का निपटरा करने के लिए काम शुरू हुआ था लेकिन वह भी छह माह से बंद है।

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से पटना नगर निगम को वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अनुदान के रूप में 419 करोड़ रुपये मिलने थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के लिए पाँच तरह के प्लांट लगने थे। इसके लिए केन्द्र को 25 फीसदी और राज्य सरकार को 75 फीसदी राशि देनी थी। बैरिया में जितने भी प्लांट लगने हैं, उनकी लागत दो करोड़ से अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऐसे पाँच प्लांट लगने हैं, जो नहीं लग पाये। ठोस कचरा प्रबंधन नहीं होने से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भी पटना को बेहतर अंक नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं नगर निगम की ओर से किए गए प्रयास के तहत कंपोस्ट पिट और वर्षों से जमा कचरे को अलग-अलग कर उसका निपटारा करने के लिए ट्रामेल मशीनें लगायी गई थीं जो बंद हो चुकी हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.4.2023)

बिहार के सभी जिलों में 219 करोड़ से बनेंगे शवदाहगृह

बिहार के 38 जिलों में नए शवदाह गृह के निमार्ण के साथ ही पुराने का जीर्णोद्धार किया जाएगा । इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग 219 करोड़ रूपये खर्च करेगा । शवदाह गृह का निमार्ण और जीर्णोद्धार तीन चरणों में होगा । प्रथम चरण में 33 निकायों में इसका निमार्ण होगा । जिसके लिए विभाग की ओर से 49.38 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है ।

बारिश में परेशानी की वजह से शवदाह गृह का हो रहा निमार्ण और जीर्णोद्धार : नगर विकास एवं आवास विभाग के मुताबिक बिहार में बारिश के दौरान नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होती है। कोसी में जलस्तर सामान्य से 190 एमएम तक ऊपर चला जाता है जबकि गंडक, गंगा, घाघरा नदी मे पानी का स्तर सामान्य से 36 से 89 एमएम अधिक रहता है। इसकी वजह से 2022 में बिहार के लगभग 320 शवदाहगृह वाले जगहों पर नदी का पानी था। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए बिहार के सभी जिलों में शवदाह के निमार्ण के साथ ही जीर्णोद्धार किया जा रहा है ।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 27.4.2023)

बदलाव : एक मई से फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लगेगी

हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इसी क्रम में मई महीनें में भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव फर्जी फोन कॉल और मैसेज को लेकर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बीते महीने फोन कंपनियों को उनके फोन कॉल और मैसेज सेवाओं में स्पैम फिल्टर स्थापित करने के निर्देश जारी किए थे।

बताया जा रहा है कि यह फिल्टर फोन कंपनियों के ग्राहकों को फर्जी कॉल और मैसेज से बचाने में मदद करेगा। इस नए नियम के मुताबिक कंपनियों को एक मई 2023 से पहले फिल्टर लगाना होगा। इस नए नियम के तहत ट्राई ने 10 अंको वाले मोबाइल नंबरों पर की जाने वाली प्रचार या विज्ञापन कॉल को बंद करने का निर्देश दिया है।

ब्रोकर ग्राहकों की रकम गिरवी नहीं रख सकेंगे : सेबी ने ब्रोकरों द्वारा ग्राहकों की रकम का इस्तेमाल कर बैंक गारंटी देने के चलन पर रोक लगा दी है। **यह व्यवस्था पहली मई से प्रतिबंधित होगी और सभी मौजूदा बैंक गारंटी 30 सितंबर तक निरस्त हो जाएगी।** यह पहल ग्राहकों की रकम एवं प्रतिभूतियों को ब्रोकरों द्वारा किसी भी दुरूपयोग की आशंका को खत्म करने के लिए है। सेबी ने कहा कि बैंक गारंटी के लिए ग्राहकों के पैसे को गिरवी रखने से बाजार और रकम दोनों का जोखिम बढ़ जाता है।

पीएनबी के एटीएम में असफल लेन-देन पर शुल्क : पहली तारीख से पंजाब नेशनल बैंक नया नियम शुरू करने जा रहा है। यदि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस मौजूद नहीं है और आप एटीएम से पैसा निकालने का प्रयास करते हैं ऐसे में खाते में पैसा न होने के चलते एटीएम ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होगा। इस स्थिति में आपसे इस विफल एटीएम लेनदेन पर 10 रूपये और जीएसटी वसूला जाएगा। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो आपको नगद निकासी लेनदेन पर जुर्माना देना होगा।

म्यूचुअल फंड के नियमों में परिवर्तन : भारतीय बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। निवेशकों के लिए इसे अनुकूल बनाने के लिए सेबी ने नया अपडेट करने के लिए कहा है। इसके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को आरबीआई से केवाईसी करवाना होगा।

जीएसटी के नए नियमों का पालन करना होगा : जीएसटी के कई नियमों में बदलाव किया गया है। किसी भी लेन-देन की रसीद सात दिन के अंदर इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य है। नए नियमों का पालन कारोबारियों द्वारा करना जरूरी होगा।

बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों के नियम बदले : सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों के नियमों में बदलाव किया है। इन वाहनों से किसी प्रकार का परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके तहत इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और मेथनॉन से चलने वाले पर्यटक वाहनों को राहत मिलेगी।

(साभार : हिन्दुस्तारन, 29.4.2023)

47 साल बाद पटना की नई सुरक्षा दीवार बनेगा 6 किमी लंबा जेपी गंगा पथ

पटना की पुरानी सुरक्षा दीवार और जे. पी. गंगा पथ के बीच के छह किलोमीटर लंबे गंगा चैनल को अब राजधानी के नए पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ शोध संस्थान, छात्रावास, कल्चरल और रिक्रिएशन सेंटर, पार्क, पार्किंग, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक और छठ घाट के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। पटना शहरी सुरक्षा दीवार के उत्तर जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को आवासीय विद्यालय, कल्याण छात्रावास और जनजातीय शोध संस्थान के निर्माण के लिए भी पाँच एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है। इसके लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी की मांग की गई है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.4.2023)

01 अप्रैल 2023 से प्रभावी कुल मजदूरी की दरें (अनुसूची-II)

क्र. सं.	कामगारों की कोटि	दिनांक 01.09.2022+01.10.2022 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगी	01.04.2023 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00=373.00	15.00	388.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00=388.00	15.00	403.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00=472.00	19.00	491.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00=577.00	23.00	600.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00+210.00=10688.00	419.00	11107.00 प्रतिमाह

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार सरकार

वित्त विभाग

दिनांक-28 फरवरी 2023 को बिहार विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आय-व्ययक का उपस्थापन किया गया है।

1. **2023-24 के बजट अनुमान: संक्षिप्त विवरण**

- कुल व्यय (क+ख) : **2,61,885.40 करोड़ रूपये**
  - (क) स्कीम व्यय : 1,00,029.73 करोड़ रूपये
  - (ख) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय : 1,61,855.67 करोड़ रूपये
- **प्रतिबद्ध व्यय**
  - (i) वेतन (क+ख+ग+घ) : **59,647.53 करोड़ रूपये**
    - (क) स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में : 31,118.70 करोड़ रूपये
    - (ख) स्कीम मद में : 1,834.16 करोड़ रूपये
    - (ग) सहायक अनुदान वेतन : 22,156.03 करोड़ रूपये
    - (घ) संविदा अन्तर्गत वेतन : **4,538.64 करोड़ रूपये**
  - (ii) पेंशन : 29,436.92 करोड़ रूपये
  - (iii) ब्याज भुगतान : 18,354.44 करोड़ रूपये
  - (iv) लोक ऋण अदायगी : 23,558.69 करोड़ रूपये
  - कुल (I+II+III+IV) : **1,30,997.58 करोड़ रूपये**

कुल प्राप्तियाँ

(राजस्व प्राप्तियाँ+पूंजीगत प्राप्तियाँ) (1+2) : **2,62,085.40 करोड़ रूपये**

(1) राजस्व प्राप्तियाँ : **2,12,326.97 करोड़ रूपये**

(क) केन्द्र सरकार से प्राप्त राजस्व (I+II) : **1,56,115.18 करोड़ रूपये**

- (i) केन्द्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा : 1,02,737.26 करोड़ रूपये
- (ii) केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान : **53,377.92 करोड़ रूपये**

(ख) राज्य के अपने राजस्व (I+II) : **56,211.79 करोड़ रूपये**

- (i) राज्य के कर राजस्व : 49,700.05 करोड़ रूपये
- (ii) राज्य के गैर कर राजस्व : **6,511.74 करोड़ रूपये**

- **राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत**

वाणिज्यकर	: 39,550.00 करोड़ रूपये
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	: 6,300.00 करोड़ रूपये
परिवहन कर	: 3,300.00 करोड़ रूपये
भू-राजस्व	: 550.00 करोड़ रूपये
कुल	: **49,700.00 करोड़ रूपये**

- **राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत**

झारखण्ड से सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गयी राशि में हिस्सा	: 843.12 करोड़ रूपये
खनन	: 3,300.00 करोड़ रूपये
ब्याज प्राप्तियाँ	: 1704.73 करोड़ रूपये
सिंचाई	: 50.00 करोड़ रूपये
अन्य मदों में प्राप्तियाँ	: 613.89 करोड़ रूपये
कुल	: **6,511.74 करोड़ रूपये**

(2) पूंजीगत प्राप्तियां (I+II) : **49,758.44 करोड़ रूपये**

- (I) उधार : 49,326.53 करोड़ रूपये
- (ii) कर्ज की वापसी : 431.91 करोड़ रूपये

- **कुल व्यय (I+II)** : **2,61,885.40 करोड़ रूपये**

(I) राजस्व व्यय जिसमें- : **2,07,848.00 करोड़ रूपये**

(क) वेतन	: 59,647.53 करोड़ रूपये
(ख) सहायक अनुदान वेतन आदि के अलावा	: 37,412.99 करोड़ रूपये
(ग) सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण	: 21,880.08 करोड़ रूपये
(घ) पेंशन	: 29,436.92 करोड़ रूपये
(ङ) ब्याज भगुतान	: 18,354.44 करोड़ रूपये
(च) छात्रवृति	: 3,711.16 करोड़ रूपये
(छ) सब्सिडी (रिसोर्स गैप सहित)	: 10,990.11 करोड़ रूपये
(ज) आपदा में नगद/वस्तु राहत मद	: 3,439.59 करोड़ रूपये
(झ) अनुरक्षण एवं मरम्मत	: 6,633.91 करोड़ रूपये
(ञ) अन्य व्यय	: 16,341.27 करोड़ रूपये

(II) पूंजीगत व्यय जिसमें- : **54,037.40 करोड़ रूपये**

(क) पूंजीगत परिव्यय	: 29,257.31 करोड़ रूपये
(ख) लोक ऋण	: 23,558.69 करोड़ रूपये
(ग) कर्जे और उधार	: 1,221.40 करोड़ रूपये

राजस्व बचत

(राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय) : **4,478.97 करोड़ रूपये**

(2,12,326.97-2,07,848.00 = 4,478.97 करोड़ रूपये)

राजस्व बचत /जी. एस. डी. पी. = : **0.52%**

- **राजकोषीय घाटा** : **25,567.83 करोड़ रूपये**

(कुल गैर ऋण व्यय-कलु गैर ऋण आय)

राजकोषीय घाटा/जी. एस. डी. पी. : **2.98%**

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल व्यय बजट अनुमान **2,61,885.40 करोड़ रूपये** है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान **2,37,691.19 करोड़ रूपये** से **24,194.21 करोड़** रूपये अधिक है।

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रूपये** है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान **1,37,460.94 करोड़ रूपये** से 24,394.72 करोड़ रूपये अधिक है।

4. वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000.00 करोड़ रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के बराबर है। **सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25:-** आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान 5,000.00 करोड़ रूपये का किया गया है।

1930 पर कॉल कर सूचना दे सकते हैं साइबर ठगी के शिकार लोग, जल्द होगी कार्रवाई

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.4.2023)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296